न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारी - हेमराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा नं0- 101 / 2016 तारीख रजु 01.08.2016

सीसीएमएस आई0डी0: 2016 / 00615

1. श्रीमती हरवेजी आयु 40 साल बेवा रतनलाल
2. राजगिरीश आयु 23 साल पुत्री रतनलाल
3. मिथलेश आयु 21 साल पुत्री रतनलाल
4. ममता उर्फ ममतेश आयु 20 साल पुत्री रतनलाल
5. [illegible] आयु 18 साल पुत्री रतनलाल

} जाति मीना निवासी ग्राम नंगलामीना तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0

——सायलान—05

बनाम

1. भरतलाल आयु 75 साल पुत्र [illegible] जाति मीना, निवासी ग्राम नगलामीना तहसील हिण्डौनसिटी, जिला करौली (राज.)।
2. उपपंजीयक कार्यालय हिण्डौनसिटी, जिला करौली (राज)

-- गैरसायलान--02

[illegible] [illegible] मिमिया झा.

[illegible] [illegible]

2. श्री राधारमण शर्मा वकील गैरसायलान

निर्णय दिनांक

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा जरिये वकील वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर 1222/1 रकबा 0.12 एयर, खसरा नम्बर 234 रकबा 0.54 एयर, खसरा नम्बर 266 रकबा 0.20 एयर, खसरा नम्बर 271 रकबा 0.15 एयर, [illegible] खसरा नम्बर 275/1 रकबा 0.10 एयर, खसरा नम्बर 222/2 रकबा 0.52 एयर कुल किता 7 कुल रकबा 1.89 हैक्टेयर ग्राम मूल्याकापुरा, पटवार हल्का बरगमां, तहसील हिण्डौन, जिला करौली (राज.) में स्थित है।

सायलान व गैरसायलान परिवारजन है. सायला नं. गैरसायल नं. 1 की पुत्रवधु व सायलान नं. 2 लगायत 5 गैरसायल न 1 भरतलाल की पौत्रियां हैं। गैरसायल नं. 1 भरतलाल के एकमात्र पुत्र सन्तान रतनलाल का अरसा करीब 18 वर्ष पूर्व निधन [illegible]। कि रतनलाल ने अपने पीछे सायलान को ही छोड़ा [illegible] वारिसान एवम् कानूनन उत्तराधिकारी है कि जो उसके तर्क पर काबिज [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:58:25 IST
Reason: SelfAttested

गैरसायल न. 1 भरतलाल की धर्मपत्नि व सायला नं. 1 की सारा एवं सायलान नं. 2 [illegible] वर्ष [illegible] देहान्तशान हो गया है। सायलान ने मृतका [illegible] समय तक खूब मान सम्मान देकर सेवा सुश्रुषा की, दाहसंस्कार, क्रियाकर्म व बारह ब्राह्मण किया है, एवम् गैरसायल नं. 1 को अपने पास रखकर [illegible] मान सम्मान देकर सेवा सुश्रुषा कर रहे हैं, परन्तु गैरसायल नं. 1 का वृद्धावस्था व पुत्र वियोग के कारण मानसिक सन्तुलन ठीक नहीं है. सोचने समझने की क्षमता क्षीण हो गई है कि जिसके कारण आये दिन वह गांव के लोगों के बहकावे में आकर उल्टी सीधी बातें करता रहता है. गांव के [illegible] को बहकाकर, विभिन्न प्रकार से लालच देकर, सायलान की दयनीय स्थिति मजबूरी का फायदा उठाकर, सायलान के कब्जे काश्त की भूमि कि जो वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में गैरसायल नं. 1 की खातेदारी [illegible] कब्जे [illegible] में है। आराजीयात वर्णित मद नं. 2 प्रार्थनापत्र गैरसायल नं. 1 की पैत्रिक कृषि भूमि है कि जो उसे अपने पिता भैरूया से विरासत में मिली है। इस कारण विवादित भूमि में सायलान को भी अपने मृतक पति व पिता रतनलाल की पैत्रिक कृषि भूमि होने के कारण वाइ [illegible]

सायलान ने अपनी कब्जे काश्त की उक्त भूमि वर्णित मद नं. 2 प्रार्थनापत्र के करीब 3 बीघा रकबा में बाजरे की फसल काश्त की है एवं शेष भूमि को जोत [illegible]

दिनांक 17.07.2016 को सायलान आराजीयात वर्णित मद नं. 2 प्रार्थनापत्र की सार संभाल व बाजरे की निराई-गुडाई का कार्य कर रहे थे तो दोपहर बाद [illegible] किस्म के झगडालू प्रवृति के व्यक्तियों को साथ लेकर आया और खेतों की तरफ इशारा कर कहने लगा कि इन खेतों को खरीद कर रजिस्ट्री करा लो। जब सायलान ने गैरसायल नं. [illegible] ऐसा क्यों [illegible] रहे [illegible] और क्या करना [illegible] तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा. अलग रहकर नौकरों के सहारे [illegible] के साथ ही मजे की जिन्दगी जीऊँगा और पैसों के लिए मेरी खातेदारी की भूमियों को बेचकर रजिस्ट्री [illegible] रहो, मुझे [illegible] बातों से

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:58:25 IST
Reason: SelfAttested

सायलान ने दुखी होकर काफी अनुनय विनय की, गांव के व्यक्तियों व रिश्तेदार से गैरसायल नं. 1 को समझाया परन्तु गैरसायल मानने को तैयार नहीं है एवं अपनी हठधर्मिता पर आमादा है व सायलान को अपनी पैत्रिक कृषि भूमियों से बेदखल कर [illegible] सायलान बेघर व बेरोजगार [illegible] जाने से रोजी रोटी का संकट पैदा हो जायेगा। गैरसायल भरतलाल की उक्त बेजा कार्यवाही से सायलान को अपूर्तनीय क्षति पहुंचेगी कि जिसकी क्षतिपूर्ति होना किसी भी भांति संभव नहीं हो सकेगी, इसलिए [illegible] खिलाफ गैरसायलान प्रस्तुत करना आवश्यकीय हुआ है।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान [illegible] अग्र से पाबंद [illegible] खसरा नम्बर 1222/1 रकबा 0.12 एयर, खसरा नम्बर 234 रकबा 0.54 एयर, खसरा नम्बर 266 रकबा 0.20 एयर, खसरा [illegible] रकबा 0.15 एयर, खसरा नम्बर 282 रकबा 0.268 एयर, खसरा नम्बर [illegible] रकबा [illegible] एयर, खसरा नम्बर 2?2/2 रकबा 0.52 एयर, कुल किता 7 कुल रकचा 1.89 हैक्टेयर वाके ग्राम मूल्याकापुरा, पटवार हल्का बरगमा, तहसील सिकरौदा जिला करौली (राज.) के उपभोग उपयोग में एवं [illegible] किसी अन्य से कराये, सायलान [illegible] आराजीयात से बेदखल नहीं करे, ना ही किसी अन्य से कराये, ना ही उक्त आराजीयात को दीगर लोगों को रहन–बय एवं ट्रांसफर करे तथा गैरसायलान [illegible] कोई कार्य सायलान के हितों के विरुद्ध नहीं करे [illegible] वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में गैरसायल नम्बर 1 की ओर से प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज को गैरसायल नम्बर 2 रजिस्टर्ड नहीं करे।

[illegible] को नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान की ओर से को श्री राधारमण शर्मा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया एवं [illegible] दिनांक 06.03.2017 से जवाब पेश [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:58:25 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रार्थना [illegible] सायल के विरुद्ध दावा पेश करना स्वीकार है किन्तु उसमें लेशमात्र भी सफलता की उम्मीद नहीं है।

2. प्रार्थना [illegible] स्वीकार है।

3. प्रार्थना पत्र का पद नं० 3 जिस प्रकार तहरीर किया है, गलत है, अस्वीकार है। सायलान एवं गैरसायल नं० 1 जाति से मीना हैं। जो कि [illegible] पर [illegible] उत्तराधिकार [illegible] उनका काउन्टर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में दर्ज है।

4. प्रार्थना [illegible] जिस प्रकार तहरीर किया है, गलत है, अस्वीकार है। सायलान ने कभी भी गैरसायल नं० 1 की धर्मपत्नि की [illegible] जीवन काल में सेवा सुश्रुषा नहीं की थी और ना ही उसके दाह संस्कार [illegible] बल्कि स्वयं [illegible] की सभी [illegible] के अनुसार निभाई हैं। सायलान का कोई सहयोग कभी नहीं रहा है। गैरसायल नं० 1 अत्यन्त [illegible] परेशान कर रहे हैं [illegible] आराजीयात शान्ति पूर्वक काश्त नहीं करने दे रहे हैं, उसके द्वारा बोई गई फसल को आये दिन [illegible] नं० 1 [illegible] की [illegible] भी नहीं कर रहे हैं। गैरसायल नं० 1 को भूखे मरने की नौबत है। चूंकि सायलान [illegible] पर हिन्दू [illegible] पर [illegible] पुरानी मिताक्षरा हिन्दू विधि के प्रावधान लागू होते हैं, जिसके अनुसार [illegible] में [illegible] को किसी [illegible] पिता [illegible] स्थिति में उसकी पत्नि व

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:58:25 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] को भी किसी प्रकार खातेदारी के अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं। [illegible] निरीक्षण में दर्ज है।

[illegible] गलत है

अस्वीकार [illegible] गैरसायल नं० 1 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात पर गैरसायल नं० 1 ने ही फसल काश्त की है। सायलान का [illegible] किसी प्रकार का नहीं है।

6. प्रार्थना पत्र का मद [illegible] तहरीर किया है, गलत है. [illegible] नहीं [illegible]

7. प्रार्थना [illegible] अस्वीकार है। [illegible] दृष्टया केस [illegible]

8. [illegible] अस्वीकार है। सुविधा का सन्तुलन गैर सायल के पक्ष में है

9. [illegible] अस्वीकार है। अपूर्णीय क्षति का [illegible] गैर सायल नं० 1 के पक्ष में आशंकित है।

आराजीयात [illegible] 29 [illegible] रकबा [illegible] नं० 282 रकबा 26 [illegible] रकबा 82 एयर, कुल किता 7 कुल रकबा 1.[illegible] हैक्टेयर ग्राम गूल्यापुरा [illegible] तहसील [illegible] की खातेदारी [illegible] सायलान या अन्य किसी व्यक्ति का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है। सायलान एवं गैरसायल नं० 1 अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं [illegible] जो जीवित हैं। [illegible] अधिनियम [illegible] के प्रावधान [illegible] उनके जीवनकाल में वारिसान को किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं। इसके अलावा [illegible] खातेदारी अधिकार [illegible] सायलान को [illegible] उद्भूत नहीं होते हैं। सायलान हरभेजी सरकारी सर्विस में है। [illegible] आज दिन तक एक रूपया भी गैरसायल नं० 1 को [illegible] नहीं दिया है। [illegible] ही सायलान [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:38:25 IST
Reason: SelfAttested

दिन गैरसायल नं० 1 के विपक्षी रहे रमेश वगैरा से आपराधिक षड्यन्त्र रचकर [illegible] उपभोग एवं कब्जे काश्त में [illegible] दस्तंदाजी करना चाहते है।

जवाब प्रार्थना पत्र [illegible] अस्थाई [illegible] गैरसायल नं० 1 की [illegible] स्वीकार फरमाया जावे तथा [illegible] स्वीकार फरमा [illegible] जाकर सायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार से पाबन्द फरमाया जावे कि वे गैरसायल नं० 1 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खसरा नम्बर 1222 [illegible] 234 [illegible] 54 एयर, ख.नं० 266 रकबा 20 एयर, ख.नं० 271 [illegible] एयर, ख.नं० 282 रकबा 26 एयर, ख.नं० 375/1 रकबा 10 एयर, [illegible] रकबा 52 एयर [illegible] कुल रकबा 1.89 हैक्टेयर [illegible] जिला करौली (राज०) [illegible] में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें और ना ही किसी अन्य से करावें, गैरसायल नं० 1 को उक्त आराजीयात से [illegible] करावें। सायलान ऐसा कोई कार्य नहीं करें [illegible] हकूकों पर विपरीत प्रभाव पड़े।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत 2069 [illegible] तहसील [illegible]

[illegible] वकील [illegible] की बहस सुनी गई। वकील [illegible] प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया और [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला दावा [illegible], सायलान को आराजीयात खसरा नम्बर 1222/1 रकबा 0.12 एयर, खसरा नम्बर 234 रकबा 0.54 एयर, खसरा नम्बर 266 रकबा 0.20 एयर, खसरा [illegible] एयर, खसरा [illegible] खसरा नम्बर [illegible] रकबा 1.89 हैक्टेयर वाके ग्राम गुल्याकापुरा, पटवार हल्का [illegible] जिला करौली (राज.) के उपभोग [illegible] ना तो स्वयं उत्पन्न करें, [illegible] आराजीयात से बेदखल

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:58:25 IST
Reason: SelfAttested

को [illegible] आराजीयात को दीगर लोगों को [illegible] करने तथा आराजीयात एवं कोई कार्य सायलान के हितों के विरूद्ध नहीं करने जिससे सायलान के हक हकूकों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़े एवं [illegible] आराजीयात के संबंध में गैरसायल नम्बर 1 की ओर से [illegible] की जावे।

गैरसायलान [illegible] ने [illegible] प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और [illegible] आराजीयात [illegible] 1222/1 रकबा 12 एयर, [illegible] 271 रकबा 15 [illegible] 275/1 रकबा 10 एयर, ख.नं0 222/2 रकबा 52 [illegible], कुल किता 7 कुल रकबा 1.80 हैक्टेयर ग्राम मूल्यापुरा [illegible] सीटी जिला करौली में स्थित है। जो कि [illegible] है। जिसमें सायलान [illegible] किसी व्यक्ति का कोई [illegible] किसी प्रकार का नहीं है। [illegible] मीना [illegible] नहीं होते है। [illegible] हिन्दू [illegible] लागू होते हैं, जिसके अनुसार एक हिन्दू [illegible] किसी प्रकार के [illegible] पिता के जीवन काल में एक मात्र [illegible] किसी प्रकार के [illegible] नहीं होते हैं [illegible] करौली [illegible] [illegible] नं0 1 [illegible] नं0 1 के [illegible] सायलान सारे दिन गैरसायल नं0 1 के [illegible] आराजीयात [illegible] काश्त में व्यवधान डालकर [illegible] आराजीयात को जबरदस्ती छीनना चाहते हैं। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] का प्रार्थना पत्र [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:38:25 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]

प्रस्तुत जमाबन्दी [illegible] 2069—72 [illegible] 32 [illegible] ग्राम मूल्याकापुरा तहसील

[illegible]

रिकॉर्ड है एवं सायलान गैरसायलान न0 1 की पुख्ता है एवं उक्त आराजीयात [illegible]

[illegible] नहीं हों, गो [illegible]

[illegible] की संभावना को

दृष्टिगत रखते हुए एवं सायलान के पक्ष में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति होना साबित होता है अतः सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा [illegible]

[illegible]

कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रकरण में दिनांक 01.08.20[illegible] [illegible] तक स्वीकार [illegible]

[illegible] 271, 282, 275/1, 222/2 वाके ग्राम गुलाबकापुरा तहसील हिण्डौन हाल तहसील श्रीमहावीरजी में [illegible] यथास्थिति [illegible] बनाये रखें।

[illegible] दिनांक 27/03/25 को खुले न्यायालय में लिखाया [illegible]

[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:58:25 IST
Reason: SelfAttested